राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

भाद्र 06, बुधवार, शाके 1946-अगस्त 28, 2024
Bhadra 06, Wednesday, Saka 1946- August 28, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 28, 2024

संख्या एफ 9 (63)परि/आरटीए/मु./2022-02944/13148 :-भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 162(ई) दिनांक 10.03.1993 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती है:-

निर्देश

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जयपुर शहर में चालक सहित आठ सीटर चार पहिया मंजिली वाहनों की संख्या सीमित किये जाने की दृष्टि से चार पहिया मंजिली वाहनों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाए। अत: जयपुर शहर में अनन्य रूप से नगरीय क्षेत्र में संचालित होने वाले चालक सहित आठ सीटर चार पहिया मंजिली वाहनों की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत नहीं करेगी और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए अनुज्ञा-पत्रों की अधिकतम संख्या का 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत क्रमश: आरक्षण अनिवार्य होगा।

सारणी

जयपुर शहरी क्षेत्र में चालक सहित आठ सीटर चार पहिया मंजिली वाहनों के लिए स्वीकृत मार्ग, पर अधिकतम वाहनों की संख्या/सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.स.	मार्ग का नाम	चौपहिया वाहनों की अधिकतम संख्या
1	टैम्पो मार्ग संख्या 5 राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज से इंदिरा गांधी नगर	60

राज्यपाल की आज्ञा से,
गोपाल सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।